राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3163/2024

नवीन आनन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, कार्मिक, राजस्थान जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य अभियंता एवं अति. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग भरतपुर।
7. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.10.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह/धीरज गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : राधिका महरवाल, अति. स्थाई अधिवक्ता
समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत धौलपुर में कार्यरत था। प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 01.10.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को विभागीय जांच विचाराधीन होने का कथन करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(क) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सेवा से निलम्बित कर मुख्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 01.10.2024 बिना मस्तिष्क का इस्तेमाल किये पारित किया गया है। उक्त आदेश में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है, जबकि अपीलार्थी को निलंबन की दिनांक तक कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होना नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम जानकीरमन ए.आइ.आर. 1991 में यह सिद्धान्त

प्रतिपादित किया है कि किसी भी कार्मिक के विरूद्ध आरोप पत्र देने के पश्चात् ही जांच विचाराधीन मानी जा सकती है। कार्मिक (क–2) विभाग ने परिपत्र दिनांक 04.06.2008 (अनुलग्नक–2) में बिन्दु संख्या 12.2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में यह स्पष्ट स्थिति है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र विधिवत रूप से प्रसारित किये जाने की स्थिति में ही अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित होना माना जायेगा, जबकि वर्तमान प्रकरण में आलोच्य आदेश जारी होने की दिनांक तक राजसेवक को कोई भी आरोप पत्र नहीं जारी किया गया है।

3. उनका यह भी कथन है कि आलोच्य आदेश में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम राजस्थान राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि विभाग द्वारा राजसेवक को सीसीए नियम 16 में आरोप पत्र दिये जाने का निर्णय अंतिम रूप से नहीं लिया जाता है तो इस आधार पर राजसेवको को निलम्बित किया जाना अवैध एवं अनुचित है। उक्त निर्णय में यह भी अंकन किया गया है कि सीसीए नियम 16 के तहत् कार्यवाही प्रस्तावित है परन्तु उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, तो भी इस आधार पर निलम्बित किया जाना अनुचित एवं अवैध है (अनुलग्नक–3)।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2001 (अनुलग्नक–4) के द्वारा निलम्बन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि निलम्बन आदेश पारित करने वाला अधिकारी यदि स्वयं पूर्ण रूप से इस बात के लिए संतुष्ट हो जाता है कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है और आरोप सिद्ध हो जाने पर राजसेवक को सेवा मुक्त किये जाने के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है तो इस बात की व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी इस संबंध में आख्यात्मक आदेश पारित करेगा। वह व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर निलम्बन आदेश पारित करेगा। वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 6490/2023 रमेश चन्द मीणा बनाम राजस्थान राज्य में अनुशंषा के आधार पर अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा जारी किये गये निलंबन आदेश को बिना मस्तिष्क का इस्तेमाल किये जारी किया हुआ मानते हुए निलंबन आदेश पर स्थगन आदेश प्रदान किया है (अनुलग्नक–3)। उक्त प्रकरण में भी निलंबन आदेश के विरूद्ध अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 21.04.2023 द्वारा खारिज कर दी गई थी।
5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को उसके विरूद्ध ''जनता के सेवक'' नाम से झूठी गुमनाम शिकायत (अनुलग्नक–5) के आधार पर

जांच करते हुए निलम्बित किया गया है, जबकि कार्मिक क–3/शिकायत विभाग के परिपत्र दिनांक 24.06.2002 के बिन्दु संख्या 1.1 एवं 1.2 में गुमनाम बेनामी, काल्पनिक/छदमनाम से की शिकायतों को बिना किसी कार्यवाही की नस्तीबद्ध किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। अतः उक्त आधार पर भी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच कर उसे निलम्बित किया जाना दुभार्वनापूर्ण है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी किये आदेश दिनांक 01.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को पूर्व की भांति अधिशाषी अभियंता, धौलपुर के पद पर नियमित रूप से कार्य करने दिया जावे एवं समस्त वेतन भत्तों का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(क) के तहत् सरकारी कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में 02 स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। इस संबंध में नियम 13(1) में वर्णित प्रावधान निम्नवत हैः– नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी है या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा (क) जहां तक उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है। प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अभिशंषा पर श्री नवीन आनन्द, अधिशाषी अभियंता के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का विचार होने के कारण अपीलार्थी का निलम्बन राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम –1958 के नियम 13 (1)(क) के प्रावधानों के तहत किया गया है जो नियमानुसार है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अशा. टीप दिनांक 22.10.2024 के द्वारा श्री नवीन आनन्द, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता एवं अन्य के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसके क्रम में कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.11.2024 (प्रदर्श–आर/1) के द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अपीलार्थी तत्कालीन अधिशाषी अभियंता के विरूद्ध आरोप–पत्रादि जारी किये जा चुके है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

8. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र की अनुपालना में

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 (क)(1) के तहत कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 01.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया था तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अशा. टीप दिनांक 22.10.2024 के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये। कार्मिक विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत् दिनांक 13.11.2024 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 12.2 का संदर्भ दिया है। उक्त नियम पदोन्नति दिये जाने के संदर्भ में लागू होते है एवं निलम्बन पर यह नियम लागू नहीं होते है।

9. अपीलार्थी को उसके विरूद्ध ''जनता के सेवक'' नाम से झूठी गुमनाम शिकायत (अनुलग्नक–5) के आधार पर जांच करते हुए निलम्बित किया गया है, जबकि कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.06.2002 के बिन्दु संख्या 1.1 एवं 1.2 में गुमनाम बेनामी, काल्पनिक/छदमनाम से की गई शिकायतों को बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। साथ ही परिपत्र में लोक सेवक के विरूद्ध जो भी शिकायत प्राप्त हो उस पर अविलंब कर कार्यवाही करे व सत्य का पता लगावे एवं आवश्यकता हो तो प्रशासनिक जांच के आदेश भी दे। प्रत्यर्थी संख्या 5 के आदेश दिनांक 07.06.2024, 19.06.2024 एवं 24.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच करने के लिए चार सदस्यी कमेटी का गठन किया गया। समिति द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया। हमारे विनम्र मत में कार्मिक विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम– 13 (क)(1) के तहत निलम्बित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य